संख्याः 05 भा0स0/क0नि0प्र0/26-3-2014-14(1)/2014

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण विभाग लखनऊ दिनॉकः 06 फरवरी, 2014
कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषयः- मैनुअल स्कैवेन्जरों ( हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों ) के पुनर्वासन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्वरोजगार योजना (एस0आर0एम0एस0) में संशोधन एवं उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

मैनुअल स्कैवेन्जर्स के पुनर्वासन हेतु भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के अन्तर्गत संचालित एस0आर0एम0एस योजना के कियान्वयन हेतु पूर्व में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या 38 भा0स0/क0नि0प्र0/26-3-07-7(01)/2007 दिनांक 19 जून, 2007 द्वारा निर्गत किये गये थे। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के पत्र संख्या 19014/7/2011-SCD-IV दिनॉकः 02-12-2013 द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जरों के पुर्नवास की उक्त योजना को माह नवम्बर, 2013 से संशोधित करते हुए संशोधित योजना को संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

सशोधित योजना के मुख्य कार्यवाही विन्दु निम्नवत् हैंः-

1- निम्नलिखित सर्वेक्षणों से योजना के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से सम्बन्धित वास्तविक ऑकड़े प्राप्त होंगेः-

(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा संचालित एवं समन्वित किए जा रहे सांविधित नगरों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण।

(ii) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कराए गए सर्वेक्षण।

**2- योजना के उद्देश्यः-**

योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान अभिज्ञात मैनुअल स्कैवेन्जरों का वैकल्पिक पेशों में पुर्नवास करना है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी तथा उनके आश्रित, चाहे उनकी आय कुछ भी हो सहायता के लिए पात्र होंगे।

**3-(1) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा निम्नवत् होगीः-**

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली से या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से किसी रेल पथ से, मल-मूत्र के पूर्णतया तथा विघटित होने से पूर्व मानव मल मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसे ले

जाने, उसके निपटान में या किसी अन्य रीति में उठाने के लिए किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक अथवा निजी अभिकरण द्वारा लगाया जाता है और नियोजित किया जाता है और सफाई कर्मी का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगाः–

स्पष्टीकरण–**(क)** "लगाया जाना या नियोजित किया जाना" से नियमित या संविदा के आधार पर लगाया जाना या नियोजित करना अभिप्रेत है।

**(ख)** ऐसी युक्तियों की सहायता से या ऐसे संरक्षात्मक साधनों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किये जाएं, प्रयोग करके मल–मूत्र को साफ करने के लिए लगाया गया या नियोजित किया गया कोई व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी नहीं समझा जायेगा।

(2) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के आश्रित से अभिप्रेत उनके परिवार के किसी सदस्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति से है। हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मी तथा उसका पति अथवा उसकी पत्नी या बच्चे जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, जो किसी अन्य कार्य में नहीं लगे हैं ( सफाई कार्य के अतिरिक्त), को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ, इसके पात्र होने के लिए आश्रित की आयु में से प्रशिक्षण की अवधि घटाई जाएगी। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के तुरंत बाद, उसे 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही अन्य सहायता प्रदान की जा सकती है।

**4– पुनर्वासनः–**

**(क) एकमुश्त वित्तीय सहायताः–**

प्रत्येक परिवार से अभिज्ञात हाथ से मैला उठाने वाला केवल एक कर्मी अभिज्ञात किए जाने के तुरन्त बाद 40,000 रू0 की एकबारगी नकद सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। एक परिवार से केवल एक ही हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के रूप में अभिचिन्हित व्यक्ति को उक्त एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी। लाभार्थी को अधिकतम् 7,000रू0 की मासिक किश्तों में राशि निकालने की अनुमति होगी। लाभार्थी मैनुअल स्कैवेन्जर के बैंक खाते आदि का विवरण और UIDAI विवरण ( यदि उपलब्ध हो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराया जायगा जिससे एकबारगी नकद सहायता की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सके। धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अनुदान, ब्याज अनुदान एवं वृत्तिका के लिए पात्र होगा। हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के आश्रित प्रारम्भिक नकद धनराशि के लिए पात्र नहीं होगें।

**(ख) स्वःरोजगार हेतु वित्तीय सहायताः–**

(1) चिन्हित स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को रू0–25,000/– से रू0– 15 लाख तक की ऋण सुविधा व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के अर्न्तगत बैकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया जायेगा किन्तु इस योजना के अर्न्तगत निर्धारित ब्याज दर ( 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत वार्षिक ) तथा बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर के अन्तर की धनराशि ब्याज अनुदान के रूप में चेनेलाइजिंग एजेन्सी

द्वारा ऋण प्रदान करने वाली संस्था/ बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना में मार्जिन मनी ऋण देय नहीं होगा।

(2) ब्याज अनुदान का भुगतान मासिक आधार पर बैंकों को किया जायेगा ताकि ब्याज अनुदान के भाग पर बैंकों द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज न लगाया जा सके।

(3) इस योजना के अर्न्तगत रू0– 10.00 लाख तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। वैक्यूम लोडर, सक्शन मशीन विद व्हीकल, कूडा निपटान गाडी, भुगतान के आधार पर शौचालयों का उपयोग आदि से सम्बन्धित परियोजनायें जो लक्ष्य समूह के लिए अधिक प्रासंगिक हैं तथा जो काफी सफल रहने के साथ–साथ आय सृजक भी रहे हैं, के मामले में रू0 15.00 लाख तक का अधिकतम ऋण की अनुमति होगी।

(4) लाभार्थी किसी भी व्यवहार्य आय सृजक स्वरोजगार परियोजना का चयन करने के लिए स्वतन्त्र होगा। लाभार्थी को किसी विशिष्ट परियोजना का ही चयन करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, बल्कि परियोजना चयन करने में लाभार्थी की रूचि, अनुभव एवं पशन्द तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। लाभार्थियों द्वारा चयन की जाने वाली परियोजनाओं की सांकेतिक सूची **परिशिष्ट ख** पर संलग्न है।

**5– ब्याज दरः–**

इस योजनार्न्तगत लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर निम्नवत् होगीः–

| क्र0सं0 | योजना लागत | ब्याज दर |
|---|---|---|
| 1 | रू0 25,000.00 लागत तक की योजनायें | 4 प्रतिशत वार्षिक (महिलाओं के लिए) तथा 5 प्रतिशत अन्य के लिए। |
| 2 | रू0 25,000.00 से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए | 6 प्रतिशत वार्षिक |

**6– ऋण अदायगी की अवधिः–**

ऋण अदायगी की अवधि अधिस्थगन अवधि सहित रू0– 5.00 लाख लागत तक की परियोजनाओं के लिए 05 वर्ष तथा रू0– 5.00 लाख से अधिक लागत की योजनाओं के लिए 07 वर्ष होगी।

**7– अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड):–**

ऋण के भुगतान को आरम्भ करने के लिए अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड) 02 वर्ष की होगी।

**8– पूंजीगत अनुदानः–**

योजनार्न्तगत लाभार्थियों को ऋण सम्बद्ध पूंजीगत अनुदान निम्न प्रकार किया जायेगा। पूँजीगत अनुदान बैक–एन्डेड (Back-ended) होगी। ऋण स्वीकृति के उपरान्त बैंक द्वारा अनुदान सहित परियोजना लागत की सम्पूर्ण धनराशि का वितरण लाभार्थी को किया जायेगा।

| क्र0सं0 | योजना लागत | अनुदान |
|---|---|---|
| 1. | रू0 2.00 लाख तक | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत |
| 2. | रू0 2.00 लाख से ऊपर रू0–5.00 लाख तक की योजनाओं हेतु | रू0– 1.00 लाख परियोजना लागत का 33 प्रतिशत (रू0– 2.00 लाख से 5.00 लाख के मध्य) |
| 3. | रू0 5.00 लाख से ऊपर रू0–10.00 लाख तक की योजनाओं हेतु | रू0– 2.00 लाख परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (रू0– 5.00 लाख से 10.00 लाख के मध्य) |
| 4. | रू0 10.00 लाख से ऊपर रू0–15.00 लाख तक की योजनाओं हेतु | रू0– 3.25 लाख |

9– <u>पूँजीगत अनुदान के भुगतान की प्रक्रियाः–</u>

क– पूँजीगत अनुदान बैक–एन्डेड (Back-ended) होगी।

ख– एस0आर0एम0एस0 योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा लाभार्थियों को अनुमन्य अनुदान लाभार्थी के नाम सावधि जमा खाते में नहीं रखी जायेगी।

ग– अनुमन्य अनुदान की धनराशि लाभार्थीवार सब्सिडी रिजर्व फन्ड एकाउन्ट में रखी जायेगी। सब्सिडी रिजर्व फन्ड एकाउन्ट पर ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

घ– बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज लगाते समय अनुदान की धनराशि को अलग रखा जायेगा।

ड– सब्सिडी रिजर्व फन्ड एकाउन्ट के खाते में शेष पड़ी धनराशि एस0एल0आर0/सी0आर0आर0 के परियोजनार्थ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी (DTL) का भाग नहीं होगी।

च– ऋण का रिपेमेन्ट शिड्यूल (Repayment schedule) इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि सब्सिडी रिजर्व फन्ड एकाउन्ट के अर्न्तगत रखी गयी अनुदान की धनराशि पूँजीगत अनुदान राशि के समतुल्य ऋण भुगतान के समायोजन के लिए पर्याप्त होगी।

छ– लाभार्थियों द्वारा परियोजना के ऋण के भाग का भुगतान रिपेमेन्ट शिड्यूल (Repayment schedule) के अनुसार करना होगा।

ज– यदि लाभार्थी निर्धारित अवधि से पूर्व ऋण का भुगतान करता है तो लाभार्थी सब्सिडी से होने वाले लाभ का पात्र नहीं होगा।

झ– लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ स्वीकृत परियोजना का उपयुक्त प्रयोग किये जाने पर ही मिलेगा।

त– बैंकों द्वारा लाभार्थी को ऋण पासबुक निर्गत की जायेगी। पासबुक में ऋण स्वीकृति की तिथि, ऋण की धनराशि, ऋण के भुगतान की अन्तिम किश्त में समायोजित किया जाने वाला अनुदान, ब्याज की दर, किश्त की निर्धारित राशि, किश्त की देय तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

10– एस0आर0एम0एस0 योजनान्तर्गत यदि आवश्यक हुआ तो लाभार्थी को दूसरी बार एवं आगे ऋण प्रदान करने की अनुमति पूँजी अनुदान, ब्याज अनुदान एवं योजना के अर्न्तगत अन्य अनुदान के बिना दी जा सकती है।

**11– दण्ड व्यवस्था–** लाभार्थी द्वारा ऋण स्वीकृति उपरान्त यदि परियोजना स्थापित नहीं की जाती है, अथवा स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग किया जाता है, तो बैंक अपने नियमों के अंतर्गत लाभार्थी के विरूद्ध धनराशि के दुरूपयोग के संबंध मे कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है। यदि लाभार्थी ने अनुदान की धनराशि का दुरूपयोग किया है तो वह :–

क– अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि 9 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज सहित वापस करेगा।

ख– भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा।

12– प्रशिक्षणः–

**क**– इस योजना के अर्न्तगत विमुक्त स्वच्छकारों को गैर पारम्परिक व्यवसायों में लगाया जायेगा इसलिए उन्हें नए कौशल एवम उद्यमशीलता की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। यह प्रशिक्षण सरकारी एजेन्सियों/ संस्थाओ तथा प्रख्यात विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 2 वर्ष होगी। प्रशिक्षण अवधि में प्रति लाभार्थी रू0– 3000/– वृत्तिका प्रदान की जायेगी। लाभार्थी की शिक्षा एवं अभिरूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु ट्रेडो का विवरण **परिशिष्ट क** पर संलग्न है जिसमें प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख है।

**ख**– प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षण के बाद चयन किये जाने वाले स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं की सूची **परिशिष्ट ख** पर संलग्न है। प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को उस कार्यकलाप के लिए ऋण दिया जायेगा जिसके लिए लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया गया है।

**ग**– प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन करने में पूर्ण सर्तकता बरती जाये एवं ट्रेड का चयन करते समय इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखा जाये कि ट्रेड/व्यवसाय पारम्परिक न होकर पूर्णतः व्यवसायिक तथा रोजगारपरक हो। प्रशिक्षण हेतु ट्रेडों का चयन करते समय यह भी ध्यान रखा जाये कि एक ही स्थान पर रह रहे सभी लाभार्थियों को एक ही ट्रेड/ कार्यकलाप के लिए चयन न किया जाये।

**घ**– प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जिला ग्राम विकास अभिकरण, जिला उद्योग केन्द्र आदि विभिन्न विभागों की मौजूद योजनाओं का अधिकतम उपयोग लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।

**13– जागरूकता शिविर–** योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार जागरूकता शिविर के माध्यम से किया जायेगा जिससे लक्षित समुदाय को कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

**14– डाटाबेस का रखरखाव**– लक्षित लाभार्थियों का एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जायेगा जिसमें लाभार्थी के सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख हो। जहॉ तक सम्भव हो लाभार्थियों के डाटाबेसों में यू0आई0डी0 नम्बर (आधार कार्ड) का उल्लेख किया जाये।

15– **योजना का कियान्वयन एवं अनुश्रवणः–**

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है किः–

(1) योजना के सफल संचालन, कियान्वयन तथा समन्वय हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 (अनुगम) राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सी होगा।

(2) अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास/ पदेन जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि0 सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर सर्वेक्षणोपरान्त नियमानुसार चिन्हित किये गये पात्र स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों (उसका पति अथवा पत्नी या बच्चे जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के है जो किसी अन्य कार्य में नहीं लगे हैं ) को उपलब्ध

करायी गयी सूची के आधार पर भारत सरकार द्वारा संशोधित एस0आर0एम0एस0 योजना में स्वरोजगार हेतु वित्तपोषित कराकर पुर्नवासित करायेगा।

(3) जनपद स्तर पर योजना की प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 02 तारीख तक प्रबन्ध निदेशक, अनुगम को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, अनुगम द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) राज्य स्तरीय वार्षिक लक्ष्यों का समावेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। प्रत्येक जनपद में निर्धारित लक्ष्यों का समावेश जिला क्रेडिट प्लान में जिला स्तरीय बैकर्स– समिति के माध्यम से अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कराया जायेगा। इस योजना में स्वच्छकारों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा प्रत्येक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में आवश्यक रूप से की जायेगी।

(5) " हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत स्थापित जिला स्तरीय समितियॉ इस योजना के कियान्वयन की निगरानी करेंगी तथा बैंकों के साथ तिमाही बैठक करेंगी ताकि योजना के कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जा सके।

16– अतः अनुरोध है कि अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा सहयोग से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक यथोक्त।**

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2– संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (बैंकिग प्रभाग) जीप दीप भवन संसद मार्ग नई दिल्ली।
3– संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4– प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली।
5– प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली।

6– प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली।
7– समाज कल्याण आयुक्त उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
9– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
10– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन।
11– प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
12– प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
13– समस्त मण्डलायुक्त, उततर प्रदेश।
14– निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0प्र0 शासन।
15– निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
16– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 शासन।
17– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18– प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ।
19– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
20– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
21– समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, उ0प्र0।

आज्ञा से,

6.2.14

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

परि- 'क'

## अवधि सहित प्रशिक्षण ट्रेड/पाठ्यक्रम के ब्यौरे

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में |
|---|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर प्रौद्योगिकी | कंप्यूटर हार्डवेयर एसेम्बलिंग एवं सेवाएं | 3 |
| | | कंप्यूटर साफ्टवेयर | 3 |
| | | बेसिक कंप्यूटर अनुप्रयोग | 3 |
| | | डाटा प्रसंस्करण में सर्टीफिकेट कोर्स | 3 |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन ऑफिस आटोमेशन एंड इंटरनेट | 3 |
| | | पीसी, मॉनीटर एंड प्रिंटर रिपेयर एंड सर्विसिंग | 4 |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस | 4 |
| | | कंप्यूटर साफ्टवेयर एंड टाली | 6 |
| | | एडव. डिप्लोमा इन साफ्टवेयर टेक. | 6 |
| | | ऑटो कैड | 12 |
| | | | |
| 2 | एपारल टेक्नोलॉजी | स्मार्ट चेकर | 1 |
| | | स्मार्ट आपरेटर (सिविंग मशीन) (बेसिक) | 1.5 |
| | | इम्ब्रॉइडरी | 3 |
| | | इम्ब्रॉइडरी एंड जेरी वर्क | 3 |
| | | कटिंग एंड टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग | 3 |
| | | वूलेन शॉल इम्ब्रॉइडरी कैप्स एंड शॉक्स | 3 |
| | | हिमाचली क्रॉफ्ट (रूमाल एंड डाल्स मेकिंग) | 3 |
| | | फैशन डिजाइनिंग | 3 |
| | | फैशन डिजाइनिंग एंड यूज ऑफ फैंसी ड्रेस मटेरियल | 3 |
| | | रेडीमेड गारमेंट्स मैन्यूफै. | 3 |
| | | हिमाचली शॉल वीविंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग | 6 |
| | | | |

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में |
|---|---|---|---|
| 3 | इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोद्योगिकी | मोबाइल रिपेयर | 2 |
| | | रिपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अपलायन्सेज एंड डोमेस्टिक वायरिंग इत्यादि | 3 |
| | | मोबाइल रिपेयर इन्क्ल्यूडिंग हार्डवेयर एंड साफ्टवेयर | 3 |
| | | मोटर रिवाइंडिंग | 3 |
| | | कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स-रिपेयर्स एंड मेनटेनेंस | 3 |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन कैमरा (रिटेल फोटोग्राफी) | 3 |
| | | एडवांस सर्टीफिकेट कोर्स इन टेलिविजन रिपोर्टिंग | 3 |
| | | वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी | 3 |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग | 6 |
| 4 | ऑटोमोबाइल | एलएमवी ड्राइविंग | 1 |
| | | एल.टी. मोटर ड्राइविंग कम एडवांस मेकैनिज्म ट्रेनिंग | 3 |
| | | ऑटोमोबाइल रिपेयर्स एंड सर्विसिंग | 3 |
| | | मोटर ड्राइविंग एंड बेसिक मकैनिज्म | 6 |
| 5 | व्यावसायिक | ईको-टूरिज्म ट्रेनिंग | 1 |
| | | डोना पट्टल मैन्यूफै. | 1.5 |
| | | पेपर बैग्स, पेपर इन्वलप्स, गिफ्ट बैग्स, फाइल कवर आदि | 2 |
| | | एरोमेट्रिक कैन्डल्स | 2 |
| | | ब्यूटी कल्चर एंड स्किन केयर | 2 |
| | | ब्यूटीशियन | 3 |

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में |
|---|---|---|---|
| | | पैकिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग टेक्नीक्स फॉर लोकल प्रोडक्ट्स | 3 |
| | | ब्यूटी कल्चर एंड स्किन केयर | 3 |
| | | एयर ट्रवेल फेयर टिकटिंग एंड एयरपोर्ट हैंडलिंग | 6 |
| | | होलीस्टिक ब्यूटी कल्चर | 12 |
| | | ट्रवेल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट | 12 |
| 6 | हाउसहोल्ड | हिमाचली फूड कम फास्ट फूड ट्रेनिंग | 1 |
| | | फ्रूट प्रोसेसिंग | 1 |
| | | साफ्ट टोयज | 1.5 |
| | | फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजरवेशन | 1.5 |
| | | साफ्ट टोयज | 2 |
| | | फ्रूट प्रोसेसिंग | 2 |
| | | हिमाचली फूड कम फास्ट फूड ट्रेनिंग | 3 |
| | | साफ्ट टोयज एंड फैंसी हैंडीक्राफ्ट्स | 3 |
| | | रिजाइजिन बैग एंड सीट कवर मैन्यूफै. | 3 |
| | | इमीटेशन ज्वेलरी | 3 |
| 7 | निर्माण | वूडेन वर्क/क्राफ्ट आइटम्स | 3 |
| | | प्लम्बिंग एंड सैनीटरी वर्क | 3 |
| | | राज मिस्त्री | 3 |
| | | स्टील फैब्रिकेशन | 3 |
| | | सिक्योरिटी गार्ड | 6 |
| | | सैनीटरी इंस्पेक्टर | 12 |
| 8 | उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम | ईडीपी | 1 |

एक वर्ष से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संकेतक सूची

| क्रम सं. | प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम | अवधि (माह) | न्यूनतम अर्हता | आयोजनकर्त्ता अभिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लेबोरेटरी असिस्टेंट/अटेंडेंट आपरेटर (केमिकल प्लांट) | 24 | एसएसएलसी | आईटीआई |
| 2. | ड्राट्समैन (सिविल/मैकेनिक) | 24 | एसएसएलसी | |
| 3. | इलेक्ट्रॉनिक मकैनिक | 24 | एसएसएलसी | |
| 4. | इंफार्मेशन टेक्नोलाजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम | 24 | एसएसएलसी | |
| 5. | लिफ्ट मकैनिक, मशीनिस्ट, मेनटेनेंस मकैनिक, मकैनिक | 24 | एसएसएलसी | |
| 6. | रेडियोलाजिस्ट | 24 | 12वीं | |
| 7. | सर्वेयर | 24 | एसएसएलसी | |
| 8. | वायरमैन | 24 | 8वीं | |
| 9. | डेन्टल लेबोरेटरी टेकनीशियन | 24 | एसएसएलसी | |
| 10. | डिप्लोमा इन रेडियेशन एंड इमैजिंग टेक. | 18 | | अपोलो मैड-स्किल्स लिमिटेड |
| 11. | डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेकनोलाजी | 18 | | |
| 12. | डिप्लोमा इन कार्डियक नान-इनवेसिव टेक. | 18 | | |
| 13. | डिप्लोमा इन आपरेशन थियेटर टेक. | 18 | | |
| 14. | डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक | 18 | | |
| 15. | डिप्लोमा इन वार्ड सेक्रेटरी | 18 | | |
| 16. | जूनियर बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग | 24 | 12वीं | टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट |
| 17. | नार्सिंग कोर्सेज | 24 माह तक | एसएसएलसी/12वीं | नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट |
| 18. | टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग | 14 | एसएसएलसी | केवीआईसी |

परिशिष्ट-ख

उन प्रस्तावित ट्रेड/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यकलापों/योजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए ऋण संवितरित किया जा सकता है

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में | रोजगार/नियोजन | 1.00 लाख रुपए तक | 1.01 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए तक | 5.01लाख रुपए से 10.00 लाख रुपए तक | 10.00 लाख रुपए से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर प्रौद्योगिकी | कंप्यूटर हार्डवेयर एसेम्बलिंग एवं सेवाएं | 3 | | | हार्डवेयर रिपेयर एंड सर्विस शॉप | | |
| | | कंप्यूटर साफ्टवेयर | 3 | हां | | | | |
| | | बेसिक कंप्यूटर अनुप्रयोग | 3 | हां | | | | |
| | | डाटा प्रसंस्करण में सर्टीफिकेट कोर्स | 3 | हां | | | | |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन ऑफिस आटोमेशन एंड इंटरनेट | 3 | | | कंप्यूटर जॉब वर्क शॉप | | |
| | | पीसी, मॉनीटर एंड प्रिंटर रिपेयर एंड सर्विसिंग | 4 | | | हार्डवेयर रिपेयर एंड सर्विस शॉप | | |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस | 4 | | | हार्डवेयर रिपेयर एंड सर्विस शॉप | | |
| | | कंप्यूटर साफ्टवेयर एंड टाली | 6 | हां | | | | |
| | | एडव. डिप्लोमा इन साफ्टवेयर टेक. | 6 | हां | | | | |
| | | ऑटो कैड | 12 | | | ऑटोकैड जाब वर्क के लिए कंप्यूटर शॉप | | |

| सं. | [illegible] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 2 | एपारल प्रौद्योगिकी | स्मार्ट चेकर | 1 | हां | | | | |
| | | स्मार्ट आपरेटर (सिविंग मशीन) (बेसिक) | 1.5 | हां | टेलरिग शॉप | | | |
| | | इम्ब्रॉइडरी | 3 | | इम्ब्रॉइडरी एंड जरी वर्क | | | |
| | | इम्ब्रॉइडरी एंड जेरी वर्क | 3 | | | | | |
| | | वूलेन शॉल इम्ब्रॉइडरी कैप्स एंड शॉक्स | 3 | | | मैन्यूफैक्चरिग शॉप | | |
| | | हिमांचली क्रॉफ्ट (रूमाल एंड डाल्स मेकिंग) | 3 | | | | | |
| | | हिमाचली शॉल वीविंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग | 6 | | | | | |
| | | कटिंग एंड टेलरिग/फैशन डिजाइनिंग | 3 | | | टेलरिग एंड फैशन डिजाइनिंग | | |
| | | फैशन डिजाइनिंग | 3 | | | | | |
| | | फैशन डिजाइनिंग एंड यूज ऑफ फैंसी ड्रेस मटेरियल | 3 | | | | | |
| | | रेडीमेड गारमेंट मैन्यूफै. | 3 | | टेलरिग शॉप | | | |
| | | | | | | | | |

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में | रोजगार/नियोजन | 1.00 लाख रुपए तक | 1.01 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए तक | 5.01लाख रुपए से 10.00 लाख रुपए तक | 10.00 लाख रुपए से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉ-निक्स प्रौद्योगिकी | मोबाइल रिपेयर | 2 | | मोबाइल रिपेयर शॉप | | | |
| | | रिपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अपलायन्सेज एंड डोमेस्टिक वायरिंग इत्यादि | 3 | | रिपेयर एंड मेनटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड आइटम्स शॉप | | | |
| | | मोबाइल रिपेयर इन्क्ल्यूडिंग हार्डवेयर एंड साफ्टवेयर | 3 | | | मोबाइल सेल एंड रिपेयर शॉप | | |
| | | मोटर रिवाइंडिंग | 3 | हां | इलेक्ट्रिशियन शॉप | | | |
| | | कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स-रिपेयर्स एंड मेनटेनेंस | 3 | | रिपेयर एंड मेनटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड आइटम्स शॉप | | | |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन कैमरा (स्टिल फोटोग्राफी) | 3 | | | स्टूडियो फॉर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी | | |
| | | एडवांस सर्टीफिकेट कोर्स इन टेलिविजन रिपोर्टिंग | 3 | हां | | | | |
| | | वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी | 3 | | | स्टूडियो फॉर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी | | |
| | | सर्टीफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग | 6 | हां | | वीडियो एडिटिंग शॉप | | |

| सं. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5.00 लाख रुपए तक | 10.00 लाख रुपए तक | से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ऑटोमोबाइल्स | एलएमवी ड्राइविंग | 1 | हां | | | वाहन की खरीद के लिए | वाहन (सफाई से संबंधित वाहनों सहित) की खरीद के लिए |
| | | एल.टी. मोटर ड्राइविंग कम एडवांस मेकैनिज्म ट्रेनिंग | 3 | हां | | | वाहन की खरीद के लिए | वाहन (सफाई से संबंधित वाहनों सहित) की खरीद के लिए |
| | | ऑटोमोबाइल रिपेयर्स एंड सर्विसिंग | 3 | | | आटोमोबाइल रिपेयर शॉप | | |
| | | मोटर ड्राइविंग एंड बेसिक मकैनिज्म | 6 | हां | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | व्यावसायिक | डोना पट्टल मैन्यूफै. | 1.5 | | पेपर यूटेंसिल मैन्यूफैक्चरिंग शॉप | | | |
| | | पेपर बैग्स, पेपर इन्वलप्स, गिफ्ट बैग्स, फाइल कवर आदि | 2 | | पेपर यूटेंसिल मैन्यूफैक्चरिंग शॉप | | | |
| | | ब्यूटी कल्चर एंड स्किन केयर | 3 | | | ब्यूटी पार्लर | | |

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में | रोजगार/नियोजन | 1.00 लाख रुपए तक | 1.01 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए तक | 5.01लाख रुपए से 10.00 लाख रुपए तक | 10.00 लाख रुपए से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पैकिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग टेक्नीक्स फॉर लोकल प्रोडक्ट्स | 3 | हां | | | | |
| | | एयर ट्रवेल फेयर टिकटिंग एंड एयरपोर्ट हैंडलिंग | 6 | | | ट्रवेल एजेंट शॉप | | |
| | | होलीस्टिक ब्यूटी कल्चर | 12 | | | ब्यूटी पार्लर | | |
| | | ट्रवेल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट | 12 | | | ट्रवेल एजेंट शॉप | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | हाउसहोल्ड | हिमाचली फूड कम फास्ट फूड ट्रेनिंग | 3 | हां | | ढाबा/रेस्टोरेंट | | |
| | | फ्रूट प्रोसेसिंग | 1 | हां | फ्रूट प्रोसेसिंग शॉप | | | |
| | | फूड प्रोसेसिंग एंड प्रेजर्वेशन | 1.5 | | | फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट | | |
| 9 | | साफ्ट टोयज एंड फैंसी हैंडीक्राफ्ट | 3 | | | फैंसी आइटम शॉप | | |
| | | रेगीजिन बैग एंड सीट कवर मैन्यूफै. | 3 | | | अपहोल्सटरी मैन्यूफैक्चरिंग शॉप | | |

| क्रम सं. | ट्रेड/क्षेत्र | पाठ्यक्रम | अवधि माह में | रोजगार/नियोजन | 1.00 लाख रुपए तक | 1.01 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए तक | 5.01लाख रुपए से 10.00 लाख रुपए तक | 10.00 लाख रुपए से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | इमीटेशन ज्वेलरी | 3 | | | इमीटेशन ज्वेलरी शॉप | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | निर्माण | वूडेन वर्क/क्राफ्ट आइटम्स | 3 | | | फर्नीचर शॉप | | |
| | | प्लम्बिंग एं सैनीटरी वर्क | 3 | हां | | हार्डवेयर शॉप | | |
| | | राज मिस्त्री | 3 | हां | | | | |
| | | स्टील फैब्रिकेशन | 3 | हां | | स्टली फैब्रिकेशन यूनिट | | |
| | | सिक्योरिटी गार्ड | 6 | हां | | | | |
| | | सैनीटरी इंस्पेक्टर | 12 | हां | | | | |

प्रपत्र-'ख'

## संकेतक परियोजनाएं/कार्यकलाप

| क्रम सं. | राशि की सीमा | संकेतक परियोजनाएं/कार्यकलाप/योजना |
|---|---|---|
| 1 | 25000 रुपए तक | **कृषि क्षेत्र :**<br>मिश्रित खेती, मधु मक्खी पालन<br><br>**सेवा क्षेत्र :**<br>चायपत्ती दुकान, चाय स्टॉल, केन बॉस दुकान, पर्चून दुकान, सिंगार दुकान, मूर्ति बनाना, बढ़ईगीरी, रिक्शा, स्टील के बर्तनों की बिक्री, उपहार सामान दुकान, फूल दुकान, अंडा व्यवसाय, चावल बिक्री, बड़ी/पापड़ बनाना, रेडीमेड वस्त्र, राजमिस्त्री, मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी/घरेलू उपकरण रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग एवं मेसन, फल और सब्जी बिक्रेता तथा मीट दुकान, पान दुकान। |
| 2 | 25001 से 50000 रुपए तक | **कृषि क्षेत्र :**<br>बकरी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बत्तख पालन।<br><br>**सेवा क्षेत्र :**<br>ब्यूटी पारर्लर, फुटवीयर शॉप, रेडीमेड गारमेंट, घरेलू उपकरण रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, सीडी/कैसेट्स शॉप, फास्ट फूड, फोटो स्टूडियो, डाइस पोलिशिंग, इमीटेशन ज्वेलरी, उपहार स्टॉल, साइकिल रिपेयरिंग, नाई दुकान, सिलाई दुकान, आटा चक्की, साइकिल किराया और रिपेयरिंग।<br><br>**उद्योग क्षेत्र :**<br>लकड़ फोटो फ्रेम, हाथ से बनी ईंटे, जाली पिलर, हरबल कास्मेटिक्स, राखी/सजावटी झालर। |
| 3 | 50001 से 1.00 लाख रुपए तक | **कृषि क्षेत्र :**<br>मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुधारू जानवर।<br><br>**सेवा क्षेत्र :**<br>फैब्रिकेशन वर्क, शटरिंग, कंप्यूटर, कारपेंटरी व्यवसाय, फर्टीलाइजर शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, बैटरी बाइडिंग एंड रिपेयरिंग, दो/चार पहिया वाहन रिपेयरिंग, नाई दुकान, आटो-रिक्शा (पेट्रोल), आटो-मोबाइल रिपेयर शॉप, फोटो कॉपीयर बूथ, पर्चून दुकान, ब्यूटी पार्लर और म्यूजिक स्टोर इत्यादि।<br>**उद्योग क्षेत्र :**<br>ब्रूम स्टिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेपर, जूट एवं क्लाथ बैग एंड फोल्डर, कागज लिफाफे और फाइल कवर, एयर बैग/पर्स, हवाई चप्पल, सर्जिकल बैंडेज बनाना, |

| राशि की सीमा | संकेतक परियोजनाएं/कार्यकलाप/योजना |
|---|---|
| | पेपर कप और प्लेट निर्माण, जुराब बनाना। |
| 1.01 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए तक | **कृषि क्षेत्र :**<br>भूमि खरीद, मुर्गी पालन, पौधशाला, वर्मी कम्पोस्टिंग, मेडीसनल एवं एरोमैटिक प्लांट्स, सेरीकल्चर एंड मलबेरी फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, ट्रैक्टर, पावर टिलर, बागवानी।<br><br>**सेवा क्षेत्र :**<br>ढाबा/मिनी होटल, वकील कार्यालय, ईंट बेचना, ट्रैबल एजेंसी, मेडिकल शॉप, इंटरनेट कैफे, प्लास्टिक लैमिनेशन, कृषि उपकरणों की मरम्मत, ड्राई-क्लिनिंग, डाई एंड ड्रैपिंग, ट्रासंपोर्ट, वाहन डेंटिंग और पेंटिग तथा घरेलू गजेट, सेनिटरी और हार्डवेयर शाप, घरेलू बिजली उपकरणों की सर्विसिंग एंड रिपेयर, टेंट हाउस, बैण्ड पार्टी, रेडीमेड गारमेंट शॉप, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मुर्गी पालन जैसी गैर-भूमि आधारित योजनाओं सहित कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप।<br><br>**उद्योग क्षेत्र :**<br>झाड़ू बनाना, ब्रश बनाना, होलो ब्रिक्स और जाली बनाना, प्रिंटिंग प्रेस, लोहारगीरी, कढ़ाई/जरी कार्य, मशीन पेंच बनाना, सर्जीकल पट्टी बनाना, चांदी गहने बनाना, फुटवीयर मैन्यूफैक्चरिंग, हरबल शैम्पू मैन्यूफैक्चरिंग, टायर रिट्रेडिंग, सिट्रोनेला आयल मैन्यूफैक्चरिंग, चांदी के गहने बानाना। |
| 5.01 लाख रुपए से 10.00 लाख रुपए तक | **सेवा क्षेत्र :**<br>मिनी होटल/मोटल, ढाबा।<br>**परिवहन क्षेत्र :**<br>बोलेरो, महिन्द्रा जीप, इनोवा, क्वालिस, टाटा सोमा, माइक्रो बस (आरटीवी)।<br><br>**उद्योग क्षेत्र :**<br>राईस मिल, स्टोन क्रुशर, होजरी यूनिट, मिनरल सोडा वाटर प्लांट। |
| 10.00 लाख रुपए से अधिक के लिए | **सैनिटरी आधारित उपकरण :**<br>वैक्यूम लोडर, वाहन सहित सक्शन मशीन, कूड़ा निपटान वाहन, भुगतान पर शौचालय उपयोग। |